

पत्रांक:  
सेवा में,

98/55 बजट (मार्ग/सेतु- अनुरक्षण- नवीनीकरण)/2019-20

दिनांक: 3/11/2019

अधिशासी अभियन्ता (आहरण वितरण अधिकारी)  
प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के विभागीय आय-व्ययक में अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद के अंतर्गत अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो हेतु आवंटन।

संदर्भ:-

1-शासनादेश संख्या- 4160/111(2)/19-03 (बजट)/2019 दिनांक-06.11.2019

2-सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 129/XXVII (6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 15/4/2019

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18.06.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो हेतु ₹ 61.4462 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। वर्णित शासनादेश दिनांक 6/11/2019 के द्वारा योजनान्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15/4/2019 के द्वारा प्रदेश में दिनांक 1/4/2019 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली आई0एफ0एम0एस0 (IFMS) लागू किये जाने के क्रम में फील्ड अधिकारियों के द्वारा योजनान्तर्गत सूचित भौतिक प्रगति एवं धनावंटन की माँग के दृष्टिगत ₹ 37.50 करोड़ (₹ सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार इंगित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

**आवंटन की शर्त:-**

(1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ के द्वारा संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का उपयोग, उच्च प्राथमिकता एवं समयबद्धता के आधार पर उन्ही कार्यो में किया जायेगा जिस हेतु यह धनराशि आवंटित की जा रही है, तथा आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 29.2.2020 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि से अधिक का भुगतान किये जाने, व्ययाधिक्य किये जाने, व्ययावर्तन किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान किये जाने, आवंटित धनराशि लैप्स किये जाने तथा आवंटन से अधिक किये जाने की दशा में संबंधित अधिशासी अभियन्ता को उत्तरदायी माना जायेगा, जिसके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से नियमानुसार कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) कार्य कराने से पूर्व कार्यो का विस्तृत आगणन गठित कर उसका समुचित परीक्षण एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(5) आवंटित धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट 2017 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं/व्यवस्थाओं, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, टेण्डर विषयक नियमो तथा अन्य सुसंगत स्थाई आदेशों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 6/11/2019 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला तथा अन्य सड़कें-राजस्व-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न:- कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (11 पृष्ठ)

( दिनेश चन्द्र लोहनी )

वित्त नियंत्रक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।

(2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(3) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।

(4) अधीक्षण अभियन्ता, .....वृत्त लोक निर्माण विभाग .....

संलग्न:- कार्यवार/खण्डवार आवंटन (11 पृष्ठ)

(5) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।

संलग्न:- डी0डी0ओ वार एलोटमेंट आई0डी0


(6) अधि0अभि0,आई0टी0सेल,कार्यालय प्रमुख अभियन्ता(विभागाध्यक्ष)लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न:- कार्यवार/खण्डवार आवंटन (11 पृष्ठ)

IT head

  
वित्त नियंत्रक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

  
19.11.19  
चन्दन सिंह नेगी  
अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या 99/55 बजट(मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/2019-20 दिनांक 13/11/2019 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के मार्गों/सेतु के अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुमोदित नवीनीकरण कार्य में घनावटन।

अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक- 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व)

(धनराशि लाख ₹में)

क्र०सं०	योजना का नाम	खण्ड का नाम	डी०डी०ओ० कोड	कोषागार	एलोटमेंट आई०डी०	वर्तमान में घनावटन
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०भटवाड़ी.	4229	भटवाड़ी	H19110220002	50.00
2	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०बड़कोट	4233	बड़कोट	H19110220003	112.77
3	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०टिहरी	4235	नई टिहरी	H19110220004	50.00
4	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०चम्बा	4232	नई टिहरी	H19110220005	61.04
5	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०नरेन्द्रनगर	4229	नरेन्द्रनगर	H19110220006	171.69
6	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	अ०ख०धनसाली	4230	धनसाली	H19110220007	208.60
7	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	अ०ख०थत्यूड़	4232	थत्यूड़	H19110220008	246.37
8	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	अ०ख०कीर्तिनगर	4231	श्रीनगर	H19110220009	129.07
9	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०गोपेश्वर	4228	गोपेश्वर	H19110220010	68.05
10	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०कर्णप्रयाग	4227	कर्णप्रयाग	H19110220011	58.74
11	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०गैरसैण	4229	गैरसैण	H19110220012	130.00
12	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०थराली	4228	थराली	H19110220013	84.75
13	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	अ०ख०गौचर	4233	कर्णप्रयाग	H19110220014	100.00
14	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०रुद्रप्रयाग	4227	रुद्रप्रयाग	H19110220015	50.00
15	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०पौड़ी	4235	पौड़ी(गढ़वाल)	H19110220016	125.00
16	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०श्रीनगर	4227	श्रीनगर	H19110220017	54.78
17	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०लैन्सडॉन	4228	लैन्सडॉन	H19110220018	50.00
18	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०दुगडडा	4228	कोटद्वार	H19110220019	192.00
19	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०पाबौ	4230	पौड़ी(गढ़वाल)	H19110220020	71.81
20	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०पिथौरागढ़	4234	पिथौरागढ़	H19110220021	65.74
21	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०डीडीहाट	4231	डीडीहाट	H19110220022	100.00
22	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०अस्कोट	4227	अस्कोट	H19110220023	34.18
23	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०बागेश्वर	4227	बागेश्वर	H19110220024	12.90
24	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०अल्मोड़ा	4233	अल्मोड़ा	H19110220025	309.50
25	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०अल्मोड़ा	4234	अल्मोड़ा	H19110220026	578.35
26	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०रानीखेत	4228	रानीखेत	H19110220027	171.65
27	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०रानीखेत	4233	रानीखेत	H19110220028	60.00
28	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	प्रा०ख०नैनीताल	4227	नैनीताल	H19110220029	55.72
29	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०नैनीताल	4231	नैनीताल	H19110220030	36.87
30	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०रामनगर	4228	रामनगर	H19110220031	5.04
31	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०हल्द्वानी	4234	हल्द्वानी	H19110220032	33.43
32	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०काशीपुर	4227	काशीपुर	H19110220033	54.30
33	प्रदेश के मार्गों/सेतुओं का अनुरक्षण (नवीनीकरण) कार्य।	नि०ख०खटीमा	4228	खटीमा	H19110220034	217.65
	योग:- (क्र०सं० 1 से 33 तक)					3750.00

(₹ सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)

(दिनेश चन्द्र लोहनी )  
वित्त नियंत्रक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

23/11/19

